प्रेषक,

महानिरीक्षक निबंधन,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला निबंधक,

उत्तर प्रदेश।

संख्या 240(1)/कैम्प- आशु0लखनऊ दिनांक अगस्त 6, 1999

विषय- रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 30 के अधीन रजिस्ट्रारों द्वारा दस्तावेजों की रजिस्ट्री के विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग अपरिहार्य परिस्थितियों में सावधानीपूर्वक किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 14082/कैम्प-आशु/98-99 दिनांक 11-11-98 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा जनहित / राजस्व हित में यह निर्देश दिये गये थे कि रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1908 की धारा 30 की शक्तियों का प्रयोग केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में जनहित में ही किया जाये तथा संबंधित विलेख की प्रविष्टि तत्संबंधी उप निबंधक कार्यालय में करने के लिए मेमो रजिस्ट्री के दिनांक को ही भेज दी जाये।

उक्त क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम 367,372 के अनुपालन में जिला निबंधक द्वारा मेमों के साथ संबंधित रजिस्ट्रीकृत विलेख की छाया प्रति भी उप निबंधक के कार्यालय में रजिस्ट्री के दिनांक को ही भेजनी आवश्यक होगी जिसे उप निबंधक अपने कार्यालय के खण्ड में फाइल करेगें तथा इस विलेख को सूचीबद्ध भी करायेगें।

दिनांक 11-11-98 के समसंख्यक उपरोक्त वर्णित पत्र का अनुपालन आपके द्वारा किया ही जा रहा होगा । उप निबंधक स्तर पर आपके द्वारा प्रेषित किये गये मेमों के आधार पर अपने अभिलेखों में प्रविष्टि कर ली गयी है अथवा नही, को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश दिये जाते है कि आप अपने कार्यालय में दिनांक 1-4-99 के पश्चात 31 जुलाई तक रजिस्ट्री किये गये विलेखों की एक सूची अपने जिले के सहायक महानिरीक्षक को उपलब्ध करा दें जिससे वे ऐसे विलेखों की प्रविष्टियों का मिलान संबंधित उप निबंधक कार्यालय में जाकर कर सकें ।

भवदीय

ह०/–

बी0एम0मीना

महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0

शि0 का0 लखनऊ।

संख्या 240 (i) कैम्प-आशु0लख0 दिनांक अगस्त 6, 1899

प्रतिलिपि समस्त सहायक/ उप महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह०/–

बी0एम0मीना

महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0

शि0का0, लखनऊ।